

::आदेश::

आपदा प्रबन्धन अधिनियम- 2005 के अध्याय 4 की धारा 28 की उपधारा 1 के अन्तर्गत किसी आपदा की स्थिति में त्वरित प्रतिवादन हेतु जिला चम्बा में आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अन्तर्गत निम्नवत INCIDENT RESPONSE SYSTEM को लागू करते हुए इस कार्यलय के संशोधित आदेश संख्या- /DDMA/CBA/ DDMA /2016-04 42 दिनांक 15 जनवरी 2018 द्वारा INCIDENT RESPONSE TEAM का गठन किया गया था। तदक्रम में अनेक अधिकारियों का अन्यत्र स्थानांतरण होने की दशा में निम्नानुसार INCIDENT RESPONSE TEAM को पुनर्गठित किया जाता है।-

INCIDENT RESPONSE TEAM DISTRICT CHAMBA

Sr.no	Position of IRT	Nominated Officer
1	Responsible Officer	Deputy Commissioner (DC)
2	Incident commander	Additional District Magistrate (ADM), Chamba
	A Deputy Incident commander	Sub-Divisional Magistrate (SDM), Chamba
	B Information & media officer	District Public Relation Officer (DPRO), Chamba
	C Liaison officer	Assistant Commissioner to Deputy Commissioner, Chamba.
	D Safety officer	Station Fire Officer, Chamba.
3	Operation section Chief	Additional Superintendent of Police, Chamba.
	A Response Branch Director	Deputy Superintendent of Police, Chamba.
	B Staging Area Manager	Executive Officer, Municipal Council, Chamba
	C Division Supervisor/Group Incharge.	Deputy Commandant, Home Guard Chamba.
	D Transportation Branch Director	Deputy Divisional Manager, HRTC.
	E Road Operations	Works Manager, HRTC.
	F Air Operations	Supdt. Grade-1 of DC Office Chamba.
4	Planning section Chief	Land Acquisition Officer, Chamera III, Chamba
	A Resource unit	District Planning Officer, Chamba.
	B Situations unit	District Statistical Officer, Chamba.
	C Documentations unit	District Language Officer, Chamba.
	D Demobilisation unit	Regional Transport Officer, Chamba.
5	Logistic section Chief	Divisional Forest Officer, Chamba.
	Service Branch Director	District Project Officer (SarvShikshaAbhiyan), Chamba.
	A	
	1. Communication unit	1- Inspector, Head Communication, O/o SP Chamba
	2. Medical unit	2- Block Medical Officer, Pukhri. Block Medical Officer, Chamba.
	3. Food unit	3- Area Manager, Civil Supply Corporation Chamba.

	Support branch Director	Project Officer, District Rural Development Agency, Chamba
B	1-Resource provisioning unit	1- District Controller, Food Civil Supply and Consumer. Affair, Chamba.
	2-Facilities unit	2- SDO PWD(Sub Div. No.-1), Chamba. SDO PWD (Sub Div. No.-2), Chamba. SDO HPSEB (Sub Div. No.-1), Chamba. SDO HPSEB (Sub Div. No.-2), Chamba.
	3-Ground support unit	3- AddalIncharge, HRTC Chamba
	Financial branch Director	District Treasury Officer, Chamba.
C	1- Time unit	1- Supdt. Development. DC office Chamba.
	2- Cost unit	2- District Revenue Officer, Chamba.
	3- Procurement unit	3- Supdt. Revenue, DC office Chamba.
	4-Compensation/Claims unit	4- Credit Planning Officer, O/o District Planning Officer, Chamba.

1. उपरोक्त गठित INCIDENT RESPONSE TEAM के अन्तर्गत वर्णित अधिकारीगण किसी भी आपदा की स्थिति में अद्योस्ताक्षरी की आदेश की प्रतिक्षा किये बगैर आपदा की सूचना प्राप्त होते ही अपने-अपने Designated कार्य/कर्तव्यों का निर्वहन करना सुनिश्चित करेंगे।
2. उपलब्ध कराये जा रहे अभिलेख / दस्तावेज महत्वपूर्ण है, इन्हें कार्यालय में भली-भाँति संग्रहित कर रखा जाये।
3. INCIDENT RESPONSE SYSTEM के अन्तर्गत नामित सभी अधिकारी इस आदेश के साथ संलग्न उनके दायित्वों के विवरण को 3" X 2" जि फलेक्सिबोर्ड बना कर कार्यालय में चस्बा करना सुनिश्चित करेंगे ताकि स्थानान्तरण होने के दशा में नए आने वाले अधिकारी को उक्त के सम्बन्ध में ज्ञान हो सके।
4. INCIDENT RESPONSE SYSTEM के अन्तर्गत नामित अधिकारी के स्थानान्तरण होने की दशा में उक्त दस्तावेज मोचित अधिकारी द्वारा मोचक अधिकारी को अनिवार्य रूप से प्रदान किया जायेगा तथा इसकी सूचना अद्योस्ताक्षरी को भी उपलब्ध करायी जायेगी।
5. आपदा के दौरान किसी भी अधिकारी के द्वारा आदेशों की अवहेलना किये जाने पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के अध्याय 10 की धारा 51 की उपधारा क, ख, 52, धारा 55 की उपधारा क, ख, तथा 56 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
6. INCIDENT RESPONSE SYSTEM से सम्बन्धित विस्तृत दिशा निर्देश एवं नामित सभी अधिकारियों के दायित्वों का विवरण जिले की वेबसाईट hpchamba.nic.in पर अपलोड की गयी है।

<http://hpchamba.nic.in/ddma/PDF/Incident%20Response%20System.pdf>


(हरिकेश मीणा)
आई०ए०एस०

जिला उपायुक्त/अध्यक्ष,
DDMA चम्बा।


।। कार्यालय जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, चम्बा ।।

संख्या: 49 / DDMA / CBA / DDMA / 2016-04

दिनांक 2- फरवरी 2018

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. प्रमुख सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन शिमला हिचाचल प्रदेश सरकार।
2. समस्त नामित अधिकारी, INCIDENT RESPONSE TEAM जिला चम्बा।
3. समस्त विभाग अध्यक्ष जिला चम्बा।


जिला उपायुक्त/अध्यक्ष,
DDMA चम्बा।

dk